जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025

सार-समाचार

'सुशासन पखवाड़े में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें'

कोटा, (निसं)। साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी शिविरों में अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करें। साथ ही सुशासन पखवाड़े के अन्तर्गत सभी प्रकार के ऑनलाईन माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी शिविरों में विभागीय अधिकारी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की उचित प्रकार से सुनवाई करते हुए उन्हें त्वरित राहत दें। सुशासन पखवाड़ा एवं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किए जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कार्यक्रमों की सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर अपलोड भी करें। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई, निर्देश दिए कि समयबद्धता के साथ इनकी क्रियान्विति की जाए। विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। संपर्क पोर्टल की समीक्षा कर निर्देश दिए कि 30 दिवस से अधिक समयावधि वाले प्रकरणों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाए अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

बाइक डिवाईडर से टकराई, युवक की मौत

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना इलाके में बाईक अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकराने से बाईक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झालावाड़ हाल कोटा निवासी रामलखन बाईक से जाते समय रास्ते में बाईक फिसलने से बाईक डिवाईडर से टकरा गई। हादसे में घायल युवक को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अनंतपुरा थाने के एएसआई घमंडी लाल ने बताया कि झालावाड़ के पनवाड़ हाल कोटा में किराये से रहने वाला रामलखन मेघवाल (24) बाईक से गोबरिया बावड़ी से ग्लोबल चौराहे की तरफ जाते समय बाईक फिसलने से बाईक डिवाईडर से टकरा गई। हादसे में बाईक सवार रामलखन घायल हो गया। जिसे उपचार के लिये मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

कृष्णा-भोग कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कोटा, (निसं)। श्रीराम सेवा समिति के तत्वावधान में सेवा, संस्कार एवं आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरड़ा बस्ती में कृष्णाभोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तथा उपस्थित बच्चों के साथ-साथ बस्ती के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रीराम सेवा समिति की सदस्य सरोज, प्रीति सहित अन्य महिला सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। प्रगति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रीको रानपुर में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रथम दिन प्रतियोगिता का शुभारम्भ महाविद्यालय की सहायक प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉ.सविता चौधरी ने फीता काटकर किया।

'निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर, नहीं जमा कराया तो लग सकती है 100 प्रतिशत पैनल्टी व ब्याज'

■ संयुक्त श्रम आयुक्त ने नोटिस जारी किए

कोटा, (निसं)। राज्य में सभी जिलों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (श्रमिक) कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 लागू है जिसके तहत सरकारी/वाणिज्यिक/निजी (आवासीय) भवनों व निर्माण कार्यों की लागत पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (सैस) देय है। उपकर नहीं देने वाले भवन मालिकों/नियोजकों को संयुक्त श्रम आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।

संयुक्त श्रम आयुक्त शमिता जैन ने बताया कि प्रारंभ में भवन मालिक/नियोजक को निर्माण से संबंधित दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस के बाद उपकर (सैस) जमा नहीं कराने पर श्रम विभाग स्वयं निर्माण की लागत निकालकर भवन मालिक के विरूद्ध एकतरफा उपकर (सैस) निर्धारण आदेश जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी कर उपकर निर्धारण संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।

नियत समय पर राशि जमा नही करवाये जाने की स्थिति में जिला कलंक्टर (वसूली) को प्रकरण प्रेषित किये जायेंगे। उपकर राशि देय होने की अवधि में जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में 24 प्रतिषत वार्षिक दर से नियोजक पर ब्याज आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त उपकर निर्धारण के आदेश की दिनांक से निर्धारित अवधि में उपकर राशि के भुगतान/जमा नहीं कराने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है।

निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना 30 दिवस में दें:- उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी तक किसी भी वर्ग या निर्माण कार्य पर उपकर राशि की छूट नहीं है। भवन निर्माण करने वाले मालिकों/नियोजकों को निर्माण कार्य के प्रारंभ करने की सूचना 30 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग को दिया जाना आवश्यक है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने या उपकर राशि निर्धारण होने की 30 दिवस की अवधि में, जो भी पहले हो, उपकर संग्रहक को जमा कराया जाना आवश्यक है। यदि किसी प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 30 दिवस में देय उपकर राशि जमा करायी जाना आवश्यक है। नियोजक द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर देय उपकर अग्रिम भी जमा कराया जा सकता है।

श्रम कल्याण की योजनाओं में व्यय होती है उपकर की राशि:- संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि उपकर (सेस) के तहत वसूली जाने वाली राशि निर्माण श्रमिकों के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में व्यय की जाती है। जुलाई 2009 के बाद निर्मित सरकारी/वाणिज्यिक/निजी आवासीय भवनों व निर्माण कार्यो को उपकर (सेस) के दायरे में रखा गया है। जिनमें से 10 लाख रूपये से कम लागत के बनाए गए केवल आवासीय भवनों को उपकर सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।

अगर 10 लाख रूपये की लागत से ज्यादा की लागत से अगर कोई आवासीय भवन बनता है तो उससे भी एक प्रतिशत उपकर (सेस) वसूला जाएगा। व्यावसायिक भवन निर्माण करवाने पर कोई छूट नही है। कोई भी निर्माणकर्ता द्वारा कोटा विकास प्रधिकारण नगरपालिका/नगर निगम में नक्शा स्वीकृति के समय उपकर की अनुमानित राशि जमा करवाई गई है तो भी अंतिम उपकर निर्धारण राशि कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, कमरा नंबर 32, कलेक्ट्रेट परिसर कोटा में जमा करवाया जाना आवश्यक है।

फायरिंग के तीन आरोपी पकड़े

कोटा (निसं)। रामपुरा कोतवाली इलाके में फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 26 नवम्बर को फरियादी ने रामपुरा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि घर के पास गली में खड़ा था, तभी रोहित सिंगोर, अंकुश व अन्य बाईक पर आये और जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। रिपोर्ट में कहा कि फायर मिस होने से वह बाल-बाल बच गया। शहर एसपी ने कहा कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले का खुलासा करने के लिये पुलिस उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी महेन्द्र मारू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

रिलायंस ज्वैल्स की ''ड्रीम डायमण्ड सेल'' शुरू

■ 25 हजार या अधिक की डायमंड ज्वैलरी की खरीद पर ग्राहकों को 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉयन मुफ्त मिलेगा

मुंबई (निसं)। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी ''ड्रीम डायमण्ड सेल'' फिर से लेकर आए हैं, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीज़न का जश्न मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है।

आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरूआत करना चाहते है।

इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉयन मिलेगा। इस सीज़न की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा।

सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वैलरी की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 20 फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोज़मर्रा के लिए डायमण्ड ज्वैलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटमेन्ट स्टाइल जैसे चोकर और ब्राइडल डिज़ाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

सार-समाचार

हाड़ौती गौरव सम्मान 2026 का आमंत्रण पत्र सौंपा

रामगंजमण्डी, (निसं)। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में आगामी 5 जनवरी को आयोजित होने वाले अष्टम हाड़ौती गौरव सम्मान 2026 कार्यक्रम के लिए सोमवार को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र सौंपे गए। हाड़ौती गौरव सम्मान 2026 आयोजन समिति के संरक्षक एवं लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यक्रम संयोजक के. के. शर्मा कमल, स्पर्धा सिविल सर्विसेज अकैडमी के निदेशक संजय शर्मा, होलसेल व्यापार संगठन हाड़ौती संभाग के अध्यक्ष पंकज बागड़ी के सानिध्य में समिति पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कोटा पीयूष समरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह यादव को आमंत्रण पत्र सौंपकर कार्यक्रम में पधारने एवं हाड़ौती की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आग्रह किया।

होटल में तोड़फोड़ व चोरी के आरोपी गिरफ्तार

कोटा (निसं)। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 19 दिसम्बर को विज्ञान नगर इलाके में स्थित अलकरीम होटल के मैनेजर ने थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि होटल पर पांच व्यक्ति आये और खाना खाने के बाद बिल को लेकर उपद्रव करते हुए तोड़फोड करने लगे एवं गल्ले में रखे रूपये निकालकर चुराकर ले गये। विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए जिला बूंदी के थाना डाबी, बडफू निवासी मुकेश (25), धारा (29), राकेश गुड्डू (23), जगदीश (29) एवं राजमल (30) को बून्दी से डिटेन कर अनुसंधान के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। टीम जीवन दाता का सेवा से ही सरोकार देखने को मिल रहा है, जहां पर निरंतर मरीजों की सेवा कर उन्हें जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सतीश शर्मा ने मरीज बाबूलाल को लगातार पांचवीं बार बी नेगेटिव एसडीपी डोनेट की है।

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक-नपबा/तामीर शाखा/2025/8626 दिनांक-18.12.2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्रगण श्री प्रेमचन्द बंसल निवासी बारां का आवेदन पुर्नगठन चाहने वास्ते प्राप्त हुआ है। जिसमें पट्टा विलेख संख्या 1228 दिनांक 19.05.2008 भूखण्ड संख्या निल माप कुल 1375 वर्गगज में से 1175 वर्गगज आवासीय व 200 वर्गगज व्यवसायिक, योजना कोटा रोड़ बारां का श्रीमति प्रवीणा कुमारी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी बारां के नाम जारी किया। तत्पश्चात पट्टाधरक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा पत्र दिनांक 19.10.2020 से उक्त भूखण्ड में से 10125 वर्गफीट, व जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा पत्र दिनांक 28.09.2020 से 1800 वर्गफीट, को श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्रगण श्री प्रेमचन्द बंसल को बेचान कर दिया गया, एवं पट्टा विलेख संख्या 8306 दिनांक 07.02.2024 एकल भूखण्ड कुल माप 7233.6 वर्गफीट में से 4110 वर्गफीट व्यवसायिक व 3123.6 वर्गफीट आवासीय का श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्रगण श्री प्रेमचन्द बंसल के नाम जारी किया गया। आवेदक इस आधार पर पुर्नगठन चाहते है। जिसमें भूखण्ड संख्या निल माप 19158.6 वर्गफीट का श्री पवन कुमार बंसल, श्री अशोक कुमार बंसल व श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्रगण श्री प्रेमचन्द बंसल के नाम किया जाना है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।